

सं0 सं0 14 /एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,

मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मीरा सिंह पति-विनय कुमार सिंह ग्राम-कमल नगर कालोनी पो-मिरजानहाट थाना-मोजाहीदपुर जिला-भागलपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ३४७९९५ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 50001127638 खाता धारक का नाम—"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर, ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं0 ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमत्य होगा, न कि चिकित्सापरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सापरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

भा। ११/११/१६
१५७/१६

विश्वासभाजन

₹ 0/-

(डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा पुबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं३४७९१५ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 10/10 (14)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

हो/-
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक 15.07.16

१०/१०(१४)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१.८.१६

प्रेषक

डा० शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,
इन्द्रप्रस्थ अपोलो हौस्पीटल, सरिता बिहार,
मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
पीन-110076

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निवास संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	आलग आरा पति / पिता-इमामुद्दीन अंसारी ग्राम-सीधवल पो०-तैतरीया थाना-हुसैनगंज जिला-सीधाराम	तेजाब पीड़ित	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत ।
कुल रु० 1,00,000/-			

- उक्त अनुदान की कुल राशि रु० 1,00,000/- (एक लाख) का क्रास चेक सं० 38.8025
मूल रूप में सलग्न है।
- मरीज के चिकित्सापरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रणाली पत्र रवास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- चेक इन्द्रप्रस्थ मेडिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के नाम से निर्गत किया जाता है।

विश्वासभाजन

रु०/-

(डा० शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1015(14)

पटना, दिनांक 15.07.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, विहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.07.16
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
श्री। शशि रानी

पत्रांक 14 / एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
सेवा में,
निदेशक,
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज
आई0डी0ए0, स्कुडर रोड
पी0 बी0 नं0-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धर्मेन्द्र कुमार सिंह पिता—राजेश्वर सिंह ग्राम—पो0—करहंसी थाना—नटवार जिला—रोहतास सी.ए0सीनं—223580 जी0	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ३४४०२६.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0-10404158238, खाता धारक का नाम—C.M.C.VelloreAssociation, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस0बी0आई0, शाखा का नाम—भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं0-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त 'बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम' के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

२०/११/१७
✓ १५/७/१८

विश्वासभाजन
ह0/-
(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0.288026 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कांडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक 1007(14)

ह0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 15.07.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री जय कुमार सिंह, मंत्री, उद्योग सह विज्ञान एवं प्रावैधीकी विभाग / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३१/८/३
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
११.८.२०१६

सं0 सं0 14 / एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

के संबंध में।

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज़ों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विवेकानन्द शाही पिता-निर्भय कुमार सिंह ग्राम-चकर्धमपुर पो0-थाना-वारसलीगंज जिला-नवादा सी0आरन्न0-201602333570	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	लाल मोहन कुमार पिता-विपिन प्रसाद ग्राम-आर्य समाज रोड पो0-नरकटियागंज थाना-शिकारपुर जिला-प0 चंपारण सीआरन्न0-201501877923	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,00,000/- (दो लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 4,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं0 30121380424, एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ...388027..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 10413583830 खाता धारक का नाम- "डायरेक्टर, पी0जी0आई0 प्राइवेट ग्रान्ट ए0/सी0" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस0 बी0 आई0, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IIFSC कोड सं0 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त क्रेब्स से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अनिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलैसिस आदि के लिए।

31/11/2017 H

5

मरीज के चिकित्सोपरान्त विकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय और के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

₹0/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं388027 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

₹0/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1005(14)

पटना, दिनांक 15/07/16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री विनय वर्मा स०विंस० पता—बिहार विधान सभा पटना/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२१/८/१८
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२१/८/१८

सं0 सं0 14 / एम 11-2 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल
इंस्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साइंस
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कान्ती देवी पति—विरेन्द्र महतो ग्राम—पो०—सरोतर थाना—झुमरीया जिला—पूर्वी चम्पारण ओ.पी.डीन०—4658 / 16	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
2	दीपक कुमार पिता—संतोष पासवान ग्राम+पो०—मोकरी थाना—भभुआ जिला—भभुआ, कैमुर एमआरडीन०—351876	गर्दन हड्डी रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,50,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ३४८०२४.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम— कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम— काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।

२१/८/३
११/८/१

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

६१-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक संo. ३४५०२८ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

६०/-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक १५/०७/१६

ज्ञापांक १००८(१५)

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२०/७/१६
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
२०/७/१६

सं0 सं0 14 / एम 11-2/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
टाटा स्मारक अस्पताल,
परेल, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रविन्द्र कुमार सिंह पिता-स्व0 केशव सिंह ग्राम-पो0+थाना-कदम्बकुंआ जिला पटना केसफाइलनं0-सीएस/12441	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) रूपया का क्रास चेक सं0...388029.
.....मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मौंग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ट/०-

(डा. आजाद हिन्द्र प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1009 (14)

पटना, दिनांक 15.07.16

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/07/2016
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
29/07/2016

सं0 सं0 14 / एम 11-3/16

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

अधीक्षक

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मथुरा साह पिता—रव. दुलारचन्द्र साह ग्राम—फुरसतपुर पो०+थाना—गरखा जिला—सारण सी.गी.न०—15149	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
कुल			₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 388030 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0— 10874584269, खाता धारक का नाम—“AIIMS ANGIOGRAPHY PATIENT'S ACCOUNT” खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस0 बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं0—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/अदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹८०/-

(डा० शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं**388030** की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ज्ञापांक **1012 (14)**

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों /आई.टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
पटना, दिनांक **15.07.16**

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.07.16

सं0 सं0 14 / एग 11-3 / 16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० शशि रानी
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक
मेदान्ता द मेडिसिटी, गुडगांव,
हरियाणा, पीन-122 001

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संरथान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समाक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्ति की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बुचुन देवी पति—शिव कुमार पाठक ग्राम—काली स्थान रोड वार्ड नं0--13, पो0+थाना+जिला —गोपालगंज	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रुपीकृत।
कुल रु. 1,25,000/-			

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) रूपया का क्रास चेक सं0.....
38803..... मूल रूप में संलग्न है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय खाँड़ी के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र दिभाग को वापस कर दी जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
- यह चेक ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिंग, गुडगांव हरियाणा के नाम से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

40/-

(डा० शशि रानी)
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

झापंक 1013(14)

पटना, दिनांक

15.07.16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/07/16
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
विश्वासभाजन

रां ० सं० १४ / एम ११-३ / १६

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

बिहार, पटना

प्रेषक

डा० शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

अधीक्षक,

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,

अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की बीमारी का नाम निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नीतेश्वर कुमार पिता—मदन मोहन सिंह ग्राम—पो०—शेरपुर थाना—मनेर, जिला—पटना विलनीकन०—एल 19007	हेपेटाइटीस बी० रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- (पचास हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 3.87987 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10874588593, खाता धारक का नाम— AIIMS PATIENT TREATMENT ACCOUNT खाते का प्रकार— चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय वौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० शशि रानी)
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय रेटेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं387987 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाता धारक को कर दिया जाय।

पटना, दिनांक

४०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 1014(14)

पटना, दिनांक 15-07-16

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15-07-16

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
29-6-16

पत्रांक 14 / एम 11-3/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेपक

डॉ शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

अधीक्षक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
अंसारीनगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:- “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 29.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुशांत कुमार पिता—सुनील राय प्राम—पो०—शिवकुंड थाना—धरहरा जिला—मुंगेर सीआरन०—101611258	ऐ-प्लास्टिक ऐनिमिया रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	शिवाश कुमार पिता—प्रशान्त कुमार साहु प्राम—पो०—सूर्यपुरा थाना—भगवानपुर जिला—बेगुसराय सीभीन०—13838 / 16	हृदय रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
कुल ₹ 1,20,000/-			

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) रूपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चैक सं० 388003 द्वारा आँकित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० - 10874584010, खाता धारक का नाम—निदेशक, अ० भा० आ० सं०, खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम—एस० बी० आई०, शाखा का नाम—अंसारी नगर, नई दिल्ली (01536), RTGS/IFSC कोड सं०—SBIN 0001536 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अग्निभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक मांग चरुली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जाय।

4. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

₹ ०/-

(छाँ शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं. ३८८०८ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-२ में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


₹ ०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक १५.०७.१६

ज्ञापांक १०१६(१५)

प्रतिलिपि— लेखाणाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
११.७.१६